न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

रसद विविध :: 04/2018 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी:–
सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, पाली		गंगासिंह पुत्र छोगसिंह निवासी ग्राम सोकड़ा, तहसील बाली हाल मालिक मैसर्स श्री महावीर रेस्टोरेन्ट, बाईपास के पास, नया गांव, पाली, जिला पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार
अप्रार्थी स्वयं

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक : 14-8-18

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध उनकी फर्म मैसर्स श्री महावीर रेस्टोरेन्ट, बाईपास के पास, नया गांव, पाली, जिला पाली (राज.) से वक्त निरीक्षण दिनांक 11.04.2018 को मौके पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) इण्डेन कम्पनी के जिनमें एक खाली एवं एक में 8.00 किग्रा गैस भरी हुई एवं एक चुल्हा (छोटी भट्टी) मय रेग्यूलेटर व रबर ट्यूब का अवैध संग्रहण किए जाने पर जब्त कर राज्यसात करने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि दिनांक 11.04.2018 को घरेलू गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी व अवैध रिफिलिंग की रोकथाम हेतु वह मय जिला रसद अधिकारी श्री दिनेश विश्नोई (प्रशिक्षु आर.ए.एस.) के साथ पाली शहर में ही स्थित मैसर्स श्री महावीर रेस्टोरेन्ट, बाईपास के पास, नया गांव, पाली पर पहुचें। मौके पर अप्रार्थी गंगासिंह पुत्र छोगसिंह उपस्थित मिला व उसने बताया कि वह स्वयं ही रेस्टोरेन्ट का मालिक है। प्रार्थी ने मौके पर रूबरू मौतबिरान श्री अमरसिंह पुत्र धनसिंह निवासी ग्राम धांगडवास तहसील सोजत की उपस्थिति में फर्म की जांच करने पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) इण्डेन कम्पनी के जिनमें एक खाली एवं एक में 8.00 किग्रा गैस भरी हुई एवं एक चुल्हा (छोटी भट्टी) मय रेग्यूलेटर व रबर ट्यूब पायी गयी। मौके पर अप्रार्थी से विधिक दस्तावेज मांगने पर भरे हुए घरेलु गैस सिलेण्डर संग्रहण करने से संबंधित किसी प्रकार के वैद्य दस्तावेज नहीं पाये गए न ही अप्रार्थी ने अपने नाम गैस कनेक्शन होना जाहिर किया। अप्रार्थी द्वारा वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर प्रार्थी ने मैसर्स पाली गैस, पाली के प्रतिनिधी श्री ताराचंद पुत्र चुन्नीलाल निवासी 16–बी, विद्या नगर, बांगड कॉलेज के पीछे पाली से उपरोक्त जब्तसुदा सिलेण्डरों का तौल हैंगिंग स्केल मंगवा कर करवाया गया तथा इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लेते हुए एवं संग्रहण करते हुए पाए जाने के फलस्वरूप द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना करने पर उपरोक्त सामग्री को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु श्री ताराचंद पुत्र चुन्नीलाल निवासी 16–बी, विद्या नगर, बांगड कॉलेज के पीछे पाली हाल प्रोपराईटर मैसर्स पाली गैस, पाली को सुपुर्दगीनामे पर दिये गये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही के संबंध में मौके पर मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स भी लिए गये जो पत्रावली संलग्न है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त गैस सिलेण्डरो को बिना वैध परमिट के संग्रहण कर एवं घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3 ए, सी की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः निवेदन है कि जब्तसुदा घरेलू गैस 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) इण्डेन कम्पनी के

जिला कलेक्टर पाली (राज.)

जिनमें एक खाली एवं एक में 8.00 किग्रा गैस भरी हुई एवं एक चुल्हा (छोटी भट्टी) मय रेग्यूलेटर व रबर ट्यूब को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी ने अपने जवाब एवं वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी का रेस्टोरेन्ट एवं मकान एक ही है। जिसमें वह और उसका भाई चाय व नास्ता विक्रय के जरिए आजिविका कमा रहा है। दिनांक 11.04.2018 को वक्त निरीक्षण वह और उसका भाई घरेलू गैस सिलेण्डर पर खाना बना रहे थे तथा उनका व्यावसायिक सिलेण्डर चाय की भटटी पर लगा हुआ था। लेकिन निरीक्षण टीम ने उनके घरेलु गैस कनेक्शन की टंकियों को जब्त कर दिया तथा उनको लगा कि हम घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग कर रहे है। जबकि हमने घरेलु उपयोग हेतु एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु अलग–अलग कनेक्शन ले रखा है तथा न ही हमारी ऐसी कोई मंशा थी। अब मैनें अगल से मकान ले लिया है। जबकि उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जब्त सुदा सामग्री के संबंध में विनम्र भाव रखते हुए सिलेण्डर रिलीज फरमावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थी ने जैर प्रार्थना पत्र जब्तसुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) इण्डेन कम्पनी के जिनमें एक खाली एवं एक में 8.00 किग्रा गैस भरी हुई एवं एक चुल्हा (छोटी भट्टी) मय रेग्यूलेटर व रबर ट्यूब उनके व्यावसायिक परिसर मैसर्स श्री महावीर रेस्टोरेन्ट, बाईपास के पास, नया गांव, पाली, जिला पाली (राज.) में पाये गये। अप्रार्थी अपने रेस्टोरेन्ट में चाय व खाना बनाने का कार्य करता है तथा अप्रार्थी के फर्म के नाम से व्यावसायिक गैस कनेक्शन जारी किया हुआ जबकि उसके रेस्टोरेन्ट से दो घरेलू गैस सिलेण्डर प्राप्त हुए है। इस संबंध में अप्रार्थी यह सिद्ध नहीं कर पाये कि उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग व्यावसायिक प्रयोजनार्थ नहीं किया जा रहा था तथा सिलेण्डर को भटटी से नली लगाकर जुडा हुआ था, जो फोटो में स्पष्ट है तथा इसका उपयोग चाय बनाने में अप्रार्थी द्वारा किया जा रहा था। जो गैस कनेक्शन बाबत दस्तावेज पेश किए गए है। वह गैस कनेक्शन उसके भाई का नाम का है। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी के रेस्टोरेन्ट से प्राप्त सिलेण्डर उसके घरेलू उपयोग के नहीं है तथा अप्रार्थी उनका उपयोग अवैध व्यावसायिक उपयोग के लिए ही करता था। ऐसी परिस्थिति में अप्रार्थी श्री गंगासिंह द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना किए जाने से 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) कम्पनी इण्डेन कम्पनी के जिनमें एक खाली एवं एक में 8.00 किग्रा गैस भरी हुई एवं एक चुल्हा (छोटी भट्टी) मय रेग्यूलेटर व रबर ट्यूब को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) इण्डेन कम्पनी के जिनमें एक खाली एवं एक में 8.00 किग्रा गैस भरी हुई एवं एक चुल्हा (छोटी भट्टी) मय रेग्यूलेटर व रबर ट्यूब पायी गयी को राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डरो को मय गैस संबंधित कम्पनी में जमा करवाकर उससे प्राप्त राशि एवं एक चुल्हा (छोटी भट्टी) मय रेग्यूलेटर व रबर ट्यूब को निलाम कर उससे प्राप्त समस्त राशि राजकीय कोष में जमा कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

निर्णय आज दिनांक 14/8/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली